समक्षः– न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

पुनरीक्षण कमांकः– PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2018/1550

प्रस्तुत दिनांकः–05/03/18

श्री ... द्वारा आज दि 5/3/18 को प्रस्तुत

cf. 13/3/18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. दिनेशकुमार आ0 स्व0 रविशंकर
निवासी वार्ड नं0 05, ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
2. सुरेशकुमार आ0 स्व0 रविशंकर
निवासी वार्ड नं0 05, ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजेशकुमार ठाकुर आ0 स्व0 गोरीशंकर
निवासी फ्लोर नं0 4 द्वितीय मंजिल गुरूकृपा
रेसीडेंसी सुदर्शन नगर पिम्पले गुरव, पूना
2. महेशचंद्र आ0 स्व0 गोरीशंकर
3. कुमारी चंद्रप्रभा पुत्री स्व0 गोरीशंकर
4. श्रीमति शशिबाला पत्नि सत्यप्रकाश पुत्री स्व0 गोरीशंकर
उपरोक्त तीनों निवासी ईदगाह मोहल्ला, गांधी नगर,
इटारसी, तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
5. दुर्गेश कुमार ठाकुर आ0 गोरीशंकर ठाकुर
निवासी 30 कल्पना नगर, पिपलानी पेट्रोल पंप के पास
भोपाल तहसील व जिला भोपाल
6. महेशकुमार आ0 रविशंकर
निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, वार्ड क0 9 गजानंद
मंदिर के सामने पुलगांव पोस्ट जुनापुलगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र
7. मधुसेठी पत्नि उदयप्रकाश सेठी पुत्री स्व0 रविशंकर
निवासी दीक्षित हाउस, गांधी नगर इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
8. विमलाबाई पत्नि दिनेशकुमार पुत्री रविशंकर
निवासी चाण्डूमल चौराहा, सराफा बाजार
बुराहनपुर जिला खण्डवा
9. कमलबाई पुत्री रविशंकर निवासी वार्ड नं0 5
ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/18/1550

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आई0पी0द्विवेदी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-2-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-11-17 के क्रियान्वयन हेतु अनावेदिका क्रमांक 3 ने आवेदन लगाया है, उस पर किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाने से आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन तहसीलदार द्वारा खारिज किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । तहसील द्वारा मात्र वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	